कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

Email : dsofood-beh.ktp-rj@gov.in

क्रमांकः एफ()जि.र.अ.को.ब./FPS /विज्ञप्ति/2026/ 3056   हस्ताक्षरित दिनांकः 01.01.2026

संशोधित विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016, एफ. 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 जयपुर, दिनांक 25.11.2020 एवं क्रमांक एफ 17(4)खा.वि/न्याय/2025 दिनांक 10.05.2025 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों के तहत पूर्व में जारी समस्त विज्ञप्तियों को अतिक्रमित करते हुए तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति दिनांक 09.12.2025 पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई कर निरतारण करते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार–पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय से 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 06.02.2026 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड़ में श्री सचिन कुमार, कनिष्ठ सहायक को जमा करवाये जा सकेंगे। विज्ञापित होने वाली रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	उपखण्ड़/ तहसील	क्र. स.	ग्राम पंचायत/वार्ड	रिक्त/ अतिरिक्त	आरक्षण की स्थिति
1	बानसूर	1	बाबरिया (भाग 1/2)	रिक्त	महिला आरक्षित
		2	बामनवास (भाग 1)	रिक्त	–
2	बहरोड़	1	जैनपुरवास, ग्रा.पं.–जैनपुरवास	रिक्त	–
		2	कारोडासम्पूर्ण, अजमेरीपूरग्राम, ग्रा.प.–कारोडा (भाग–2),वार्ड–06–13	रिक्त	महिला आरक्षित
		3	नगरपालिका बर्डोद, पुराना वार्ड–5,6,15,16,23	रिक्त	–
		4	न. परिषद–बहरोड़, पुराना वार्ड–17,18	रिक्त	–
3	नीमराणा	1	अकलीमपुर, ग्रा.पं.–अकलीमपुर	रिक्त	महिला आरक्षित
		2	जौनायचा खुर्द, ग्रा.पं.–जौनायचा खुर्द	रिक्त	–
		3	जैतपुर, ग्रा.पं.–हुडिया कलां (भाग–2)	रिक्त	–
		4	दोलतसिंहपुरा, नया वार्ड 4,5, न.पा.–नीमराणा	रिक्त	
4	पावटा	1	भूरी भड़ाज (भाग 1/2)	रिक्त	[illegible]
		2	पंडितपुरा (भाग 1/2)	रिक्त	[illegible]
		3	रघुनाथपुरा, ग्रा.पं.–पाथरेड़ी (भाग 1/3)	रिक्त	महिला आरक्षित
		4	पावटा (पुराना वार्ड नं.–14)	रिक्त	महिला आरक्षित
		5	पारोडा, न.पा.–पावटा–प्रागपुरा(पुराना वार्ड नं.–7)	रिक्त	
5	विराटनगर	1	बनीपार्क, ग्रा.पं.–बागावास अहिरान	रिक्त	महिला आरक्षित
		2	आंतेला (भाग 1/2)	रिक्त	–
		3	कुकडेला, ग्रा.पं.– भामोद	रिक्त	–
		4	भाबरू, ग्रा.पं.– भाबरू (भाग 1/3)	रिक्त	महिला आरक्षित
		5	बादशाहपुर, ग्रा.पं.–तालवा बिहाजर	रिक्त	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Goswa
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.01.01 13:55:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19665974

		6	बहडोदा, ग्रा.पं.– ढाणी गैसकान	रिक्त	–
6	कोटपूतली	1	बसई, ग्रा.पं.–बसई	रिक्त	–
		2	पूतली (पूर्व पूतली ग्राम का क्षेत्र जो न.परिषद में सम्मिलित हो गया है) कोटपूतली	रिक्त	–
		3	कोटपूतली, वार्ड नं.(पुराना) 19,25	रिक्त	–
		4	कोटपूतली, वार्ड नं.(पुराना) 6,7	रिक्त	–
		5	कोटपूतली, वार्ड नं.(पुराना) 13,14	रिक्त	–
		6	कोटपूतली, वार्ड नं.(पुराना) 08	रिक्त	महिला आरक्षित
		7	कोटपूतली, वार्ड नं.(पुराना) 15	रिक्त	महिला आरक्षित
		8	कोटपूतली, वार्ड न.(पुराना) 27,29	रिक्त	–
		9	कोटपूतली, वार्ड नं.(पुराना) 16	रिक्त	महिला आरक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17 (1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016, 25.11.2020 एवं 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों मे वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 एवं 10.05.2025 के दिशा–निर्देशों तथा उक्त विज्ञापित होने वाली रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय कोटपूतली–बहरोड़ में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताऐ निम्नानुसार होगी–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।
   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी, जिसमे उचित मूल्य दुकान स्थित है।
   उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक की 'शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।' यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा,। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नही हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छ माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के साथ ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगें। यदि आवेदक पहले ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किराया आदि से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की [illegible] में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Goswa
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.01.01 13:55:26 IST
Reason: Approved

5. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 फीट X 20 फीट = 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
6. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा –
    - आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
    - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता–पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
    - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
    - आवेदक बालिग एवं मानसिक रूप से स्वस्थचित्त है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– होना आवश्यक है।
8. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
    - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
    - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
    - समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।
9. आवेदक/समितियो/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देदशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
11. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वंय सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।
12. आवेदक द्वारा दी गई सूचनांए गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियों में कमी/बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
13. कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अवधि विज्ञप्ति जारी होने से 15 दिवस तक होगी, तथा सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत् जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं हैं।

(प्रियंका गोस्वामी)
जिला कलक्टर (रसद)
कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांकः एफ()जि.र.अ.को.ब./**FPS**/विज्ञप्ति/2026/3057

हस्ताक्षरित दिनांकः 01.01.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Goswa
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.01.01 13:55:26 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग, जयपुर को भेजकर उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईड food.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
5. माननीय सांसद महोदय, जयपुर ग्रामीण एवं अलवर ग्रामीण।
6. माननीय विधायक महोदय, समस्त, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
7. जिला रसद अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड़।
8. समस्त, उपखण्ड अधिकारी, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
9. तहसीलदार, समस्त, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
10. **समस्त, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद्/नगरपालिका, जिला कोटपूतली–बहरोड़।**

RajKaj Ref No.:
19665974

11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
12. प्रबंधक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, कोटपूतली–बहरोड़।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड़ को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर (रसद)
कोटपूतली–बहरोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Goswa
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.01.01 13:55:26 IST
Reason: Approved